रजिस्ट्री सं. डीएल(एन)-04/0007/2003--05

REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003—05

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 5] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 4—फरवरी 10, 2006 (माघ 15, 1927)

No. 5] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 4—FEBRUARY 10, 2006 (MAGHA 15, 1927)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं 19

भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं 97

भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं 1

भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं ... 129

भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम ...... *

भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ .... *

भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट .... *

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).................................. *

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं................. *

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित और होते हैं)··· *

भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश .... *

भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं 377

भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस 49

भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं ...... *

भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं 99

भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस 57

भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक .... *

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 19

PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 97

PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence...... 1

PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence.................... 129

PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations............................ *

PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi languages of Acts, Ordinances and Regulations .... *

PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills.................... *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)............................ *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)............................ *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) .... *

PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence ..... *

PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India 377

PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs.................. 49

PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners......................... *

PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies....................... 99

PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies 57

PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi.................................. *

*Folio not received.

भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

इस्पात मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 17 जनवरी 2006

संकल्प

सं. ई.11017(3)/2005-हिन्दी--इस्पात, खान और कोयला मंत्रालय (इस्पात विभाग) के कार्य क्षेत्र में आने वाले विषयों पर हिन्दी में मौलिक पुस्तकें लिखने के संबंध में इस्पात, खान और कोयला मंत्रालय (इस्पात विभाग) (अब इस्पात मंत्रालय) के दिनांक 18 मई, 1985 के संकल्प संख्या 11017(15)/82-हिन्दी का आंशिक संशोधन करते हुए उसके अनुच्छेद-5 में निर्दिष्ट पुरस्कार राशि बढ़ाकर निम्नानुसार कर दी गई है :--

प्रथम पुरस्कार--20,000 रुपए

द्वितीय पुरस्कार--16,000 रुपए

तृतीय पुरस्कार--10,000 रुपए

पुरस्कारों की राशि में की गई उपरोक्त वृद्धि वित्तीय वर्ष 2005-06 से प्रभावी होगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों, भारत के सभी विश्व-विद्यालयों तथा क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों तथा समाचार एजेंसियों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को आम सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

आशुतोष बरनवाल
निदेशक

शहरी विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 9 जनवरी 2006

सं. के-14012/1/2006-जेएनएनयूआरएम--राष्ट्रपति की ओर से जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत निम्न-लिखित अनुसार एक राष्ट्रीय संचालन समूह (एनएसजी) गठित किया जाता है :--

(i)	शहरी विकास मंत्री	अध्यक्ष
(ii)	शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)	सह-अध्यक्ष
(iii)	सचिव, शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन	सदस्य
(iv)	सचिव, योजना आयोग	सदस्य
(v)	सचिव, व्यय	सदस्य
(vi)	राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार	सदस्य
(vii)	सचिव, शहरी विकास	सदस्य-संयोजक

राष्ट्रीय संचालन समूह जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करेगा। राष्ट्रीय संचालन समूह पहचाने गए सुधारों में अतिरिक्त सुधारों को शामिल कर सकता है और साथ ही राज्य सरकारों से प्राप्त सुझावों के आधार पर शहरों/कस्बों को श्रेणी-ग (राज्य राजधानियों के अलावा) में शामिल करने अथवा हटाने पर भी विचार कर सकता है। तथापि, मिशन के अंतर्गत शहरों की संख्या 60 के लगभग ही रहेगी।

एस. कनकाम्बरन
अवर सचिव

सं. के-14012/2/2006-जेएनएनयूआरएम--राष्ट्रपति की ओर से जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत शहरी अवस्थापना तथा शासन संबंधी उप-मिशन के लिए

राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं की स्वीकृति और मानीटरिंग के लिए शहरी विकास मंत्रालय में एक केन्द्रीय स्वीकृति और मानीटरिंग समिति (सीएसएमसी) गठित की जाती है, जो इस प्रकार है :--

(i) सचिव, शहरी विकास	--	अध्यक्ष
(ii) सचिव, शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन	--	सदस्य
(iii) प्रधान सलाहकार (एचयूडी) योजना आयोग	--	सदस्य
(iv) संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, शहरी विकास मंत्रालय	--	सदस्य
(v) मुख्य नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन	--	सदस्य
(vi) सलाहकार, केन्द्रीय जन स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय इंजीनियरी संगठन	--	सदस्य
(vii) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आवास और नगर विकास निगम	--	सदस्य
(viii) संयुक्त सचिव, शहरी विकास	--	सदस्य-सचिव

एस. कनकाम्बरन
अवर सचिव

सं. के-14012/5/2006-जेएनएनयूआरएम--राष्ट्रपति की ओर से जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के शहरी अवस्थापना एवं शासन संबंधी उप-मिशन के तहत परियोजना प्रस्तावों को शीघ्रता से प्रोसेस करने तथा उन्हें केन्द्रीय स्वीकृति एवं मानीटरिंग समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के उद्देश्य से राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों तथा अन्य एजेंसियों के साथ प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करने के लिए शहरी विकास मंत्रालय में एक मिशन निदेशालय के गठन की अनुमति देते हैं।

2. संयुक्त सचिव (शहरी विकास) को शहरी अवस्थापना एवं शासन संबंधी उप-मिशन के लिए मिशन निदेशक के रूप में पदनामित किया गया है।

एस. कनकाम्बरन
अवर सचिव

MINISTRY OF STEEL

New Delhi, the 17th January 2006

RESOLUTION

No. E.11017/(3)/2005-Hindi.—In partial modification of Ministry of Steel, Mines and Coal (Department of Steel) (Now Ministry of Steel) Resolution No. E.11017(15)/82-Hindi, dated 18th May, 1985 regarding writing original books in Hindi, pertaining to the subjects coming within the purview of the Ministry of Steel, Mines and Coal (Department of Steel), the value of the award indicated in para-5 has been increased as follows :—

1st Prize–Rs. 20,000/-

2nd Prize–Rs. 16,000/-

3rd Prize–Rs. 10,000/-

The above increase in the value of the awards shall be effective from the financial year 2005-06.

ORDER

Ordered that a copy each of this resolution be sent to the State Governments, all the Ministries and Departments ... the Government of India, all Universities & Regional Engineering Colleges in India and News agencies.

Ordered further that the resolution be published in the Gazetie of India for general information.

ASHUTOSH BARANWAL
Director

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

New Delhi, the 9th January 2006

No. K-14012/1/2006-JNNURM.—The President is pleased to constitute a National Steering Group (NSG) under the Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission as follows :—

(i)	Minister of Urban Development	Chairman
(ii)	Minister of State (Independent Charge) Urban Employment & Poverty Alleviation	Co-Chairperson
(iii)	Secretary, Urban Employment & Poverty Alleviation	Member
(iv)	Secretary, Planning Commission	Member
(v)	Secretary, Expenditure	Member
(vi)	National Technical Advisor	Member
(vii)	Secretary, Urban Development	Member-Convenor

The NSG shall facilitate achievement of objectives of JNNURM. The NSG may add additional reforms to the identified reforms and may also consider addition or deletion of cities/towns under Category-C (other than State capitals) based on the suggestions received from the State Governments. The number of cities under the Mission shall, however, remain around 60.

S. KANAKAMBARAN
Under Secy.

No. K-14012/2/2006-JNNURM.—The President is pleased to constitute a Central Sanctioning and Monitoring Committee (CSMC) in the Ministry of Urban Development for Sub-Mission on Urban Infrastructure and Governance under Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission (JNNURM) for sanctioning and monitoring of projects submitted by State Governments/UTs, as follows :—

(i)	Secretary, Urban Development	Chairman
(ii)	Secretary, Urban Employment & Poverty Alleviation	Member
(iii)	Principal Adviser (HUD), Planning Commission	Member
(iv)	Joint Secretary & Financial Advisor, Ministry of Urban Development	Member
(v)	Chief Planner, Town & Country Planning Organization	Member
(vi)	Adviser, Central Public Health & Environmental Engineering Organization	Member
(vii)	Chairman & Managing Director, Housing & Urban Development Corpn.	Member

(viii) Joint Secretary, Urban Development — Member-Secretary

S. KANAKAMBARAN
Under Secy.

No. K-14012/5/2006-JNNURM.—The President is pleased to set up a Mission Directorate in the Ministry of Urban Development for ensuring effective co-ordination with State Governments/UTs and other agencies in order to expeditiously process project proposals under Sub-Mission on Urban Infrastructure and Governance of Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission and place them before Central Sanctioning and Monitoring Committee.

2. Joint Secretary (UD) is designated as Mission Director for Sub-Mission on Urban Infrastructure and Governance.

S. KANAKAMBARAN
Under Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2006
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2006